झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।

2. मूल अधिनियम की धारा-128 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा-129 का संशोधन ।

झारखंण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-**

   (i) यह अधिनियम झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम-2007 कहा जा सकेगा ।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

   (iii) यह उस तारीख को और उस क्षेत्र में लागू होगा जो सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2. **मूल अधिनियम की धारा 128 का संशोधन ।** - बिहार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 (यथा-संशोधित 1992) जिसे सरकार द्वारा झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम-1986 के रूप में अंगीकृत किया गया है की धारा-128(1) के प्रथम पंक्ति में वर्णित शब्द ''छः माह के अन्दर'' को विलोपित समझा जाएगा ।

3. **मूल अधिनियम की धारा 129 का संशोधन ।** - बिहार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 (यथा-संशोधित 1992) जिसे सरकार द्वारा झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम-1986 के रूप में अंगीकृत किया गया है की धारा-129 के प्रथम पंक्ति में वर्णित शब्द ''तीन माह के अन्दर'' को विलोपित समझा जाएगा ।

यह विधेयक झारखण्ड खनिज क्षेत्र बिकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2007 दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 43--50--28-12-2007--शनि मुण्डा ।